

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/ओ प्र0-02-02/2021 2355-
प्रेषक,

/पटना, दिनांक-31/5/21

संजय दूबे भा0प्र0से0
विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:- मांग संख्या-37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना- उपशीर्ष-0109 - मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्रावधानित राशि ₹ 7313.00 लाख (तिहत्तर करोड़ तेरह लाख) रू0 मात्र की राशि व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि मांग सं0-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना- उपशीर्ष-0109 - मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्रावधानित राशि ₹ 7313.00 लाख (तिहत्तर करोड़ तेरह लाख) रू0 मात्र की राशि व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका विपत्र कोड 37-4515007960109 है एवं विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य है।

2- वित्त विभाग, बिहार, पटना के यथा निदेश एवं समय-समय पर बंधेज के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना राशि की निकासी कर बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के CFMS Deposit Account- PNBPLA004 (CTMIS PL Account-PLA239) में संधारित करेंगे।

3- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अन्तर्गत बी0आर0आर0डी0ए0 को उपलब्ध कराये गये राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

4- इस योजना का व्यय मांग सं0-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना- उपशीर्ष-0109 - मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5- उक्त राशि का व्यय मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत स्वीकृत योजनाओं पर नियमानुसार किया जायेगा। इस राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं जिस कार्य के लिए यह राशि आवंटित की जायेगी, उसी कार्य के लिए इस राशि को व्यय किया जायेगा।

6- बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475ए बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जायेगा, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।


7- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एवं-4-45/94-301वि0 (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि0 (2) दिनांक 15.09.2005 एवं 345 दिनांक-25.03.21 के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर

Chandra-

निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ0 प्र0-02-02/2021 के पृष्ठ संख्या-03/टि0 पर एवं दिनांक-19.05.2021 को प्राप्त है।

8- इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या 13/अ0 प्र0-02-02/2021 के पृ-03/टि0 पर दिनांक-15.04.2021 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन



सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-13/अ0 प्र0-02-02/2021 23555/पटना, दिनांक 31/5/21

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-13/अ0 प्र0-02-02/2021 23555/पटना, दिनांक 31/5/21


प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रा0का0वि0 के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ अभियंता प्रमुख, ग्रा0का0वि0/सचिव, ब्राडा ग्रा0का0वि0/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/ योजना विभाग (योजना शाखा) एवं प्रशाखा पदाधिकारी-12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-13/अ0 प्र0-02-02/2021 23555/पटना, दिनांक 31/5/21

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।



सरकार के विशेष सचिव

Chandan